

## —निन्द्यानवे—

संख्या—क0नि0—5—4168 / 11—2006—312(45) / 2006

प्रेषक,

प्रीतम सिंह,  
प्रमुख सचिव  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,  
उ0प्र0, शिविर कार्यालय,  
लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग—5 लखनऊ: दिनांक: 29 नवम्बर, 2006

विषय:—स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में अपर महानिरीक्षक निबन्धन/अपर आयुक्त स्टाम्प (विभागीय), उप उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प के पद सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिरीक्षक निबन्धन के पत्र संख्या—1230/सांख्यिकी/शि0का0लख0/06 दिनांक 18.09.2006 के सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के संवर्ग पुनर्गठन के संबंध में मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28.02.2007 तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार अस्थायी पदों को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि यह पद उक्त तिथि के पूर्व भी बिना किसी कारण के समाप्त न कर दिया जाय :-

क्र0सं0	पदनाम वेतनमान	पदों की	संख्या
1	2	3	4
1	अपर महानिरीक्षक निबन्धन/अपर आयुक्त स्टाम्प (विभागीय) 14,300—400—18,300	01	
2	उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प 12,000—375—16,500	06	
3	सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प 10,000—325—15,200	25	

3— उपर्युक्त पद स्टाम्प एवं निबन्धन सेवा के अन्तर्गत अपने-अपने संवर्गों में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे।

4— उपर्युक्त पदों पर कोई नव नियुक्ति नहीं होगी। अपर महानिरीक्षक निबन्धन/अपर आयुक्त स्टाम्प (विभागीय), उप महानिरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प के पदों पर तैनाती पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

5— उपरोक्त कार्मिक को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

6— उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006—07 के आय-व्ययक में अनुदान सं0—91 के लेखाशीर्षक—2030 स्टाम्प पंजीकरण आयोजनेत्तर—03—पंजीकरण—001—निर्देशन तथा प्रशासन—03—मुख्यालय के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—ई—9—688/दस—2006 दिनांक 22.11.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(प्रीतम सिंह)  
प्रमुख सचिव।

सं०-क०नि०-5-4168(1)/11-2006 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार प्रथम (लेखा हकदारी) उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी इलाहाबाद/लखनऊ।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

आज्ञा से,  
(चन्द्र प्रकाश मिश्र)  
विशेष सचिव।